

प्रेस-नोट थाना खजनी गोरखपुर दिनांक 12.11.2022

हत्या के प्रयास के आरोप मे वांछित अभियुक्त घटना मे प्रयुक्त अवैध तमंचा के साथ 24 घन्टे के अन्दर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल पर्यवेक्षण में इकरार अहमद प्रभारी निरीक्षक थाना खजनी के निर्देशन मे उ०नि० जितेश कुमार श्रीवास्तव मय हमराह के द्वारा थाना खजनी पर पंजीकृत मु०अ०सं० 359/2022 धारा 323,504,427,307 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विजय निषाद पुत्र केदारनाथ निवासी ग्राम खोरठा थाना खजनी जनपद गोरखपुर को घटना मे प्रयुक्त अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद खोखा कारतूस के साथ हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी के आधार पर थाना खजनी पर मु०अ०सं० 360/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर, अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विजय निषाद पुत्र केदारनाथ निवासी ग्राम खोरठा थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 359/2022 धारा 323,504,427,307 भादवि थाना खजनी गोरखपुर
2. मु०अ०सं० 360/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खजनी गोरखपुर

बरामदगी-

एक अदद देशी तमंचा 12 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद खोखा कारतूस

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. उ०नि० जितेश कुमार श्रीवास्तव चौकी प्रभारी महुआडाबर थाना खजनी गोरखपुर ।
2. का० विजय बहादुर गुप्ता थाना खजनी गोरखपुर ।
3. का० रामेन्द्र वर्मा थाना खजनी गोरखपुर ।